न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी :– राधेश्याम मीणा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 248/09 दायर दिनांक 29.10.2009

सीसीएमएस नं. 2009/00020

उनवान

1 गोविन्दसहाय पुत्र श्री रामदयाल जाति ब्राह्मण नि. बवेखर तह. भुसावर जिला भरतपुर राज.।

—–वादी

बनाम

1 गोविन्दसिंह पुत्र बजरंगसिंह जाति राजपूत नि. बवेखर तह. भुसावर (मृतक) 1/1 रेवती पत्नि गोविन्दसिंह 1/2 कानजी 1/3 रामबकील 1/4 साहबसिंह 1/5 शिवसिंह पुत्रान गोविन्दसिंह जातियान राजपूत नि. बवेखर तह. भुसावर जिला भरतपुर 2 बलवीरसिंह पुत्र स्व. मानसिंह जाति राजपूत नि. बवेखर तह. भुसावर 3 सुरेन्द्रसिंह पुत्र स्व. मानसिंह जाति राजपूत नि. बवेखर तह. भुसावर (मृतक) 3/1 रानरेश 3/2 कल्लू उर्फ धर्मेन्द पुत्रान सुरेन्द्रसिंह जातियान राजपूत नि. बवेखर तह. भुसावर 4 नरेन्द्रसिंह पुत्र स्व. मानसिंह जाति राजपूत नि. बवेखर तह. भुसावर (मृतक) 5 श्यामसिंह पुत्र स्व. मानसिंह जाति राजपूत नि. बवेखर तह. भुसावर जिला भरतपुर राज.।

—–प्रतिवादीगण

दावा डिक्लेरेशन व हुक्म इम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर.टी.ए. 1955

अधिवक्ता:–

1 श्री हेमसिंह पाण्डेय —–वादी
2 श्री सुरेन्द चौधरी —–प्रति.सं. 1/1 लगा. 1/5 एवं 3/1, 3/2
3 श्री बृजकिशोर धाकड —–प्रति.सं. 2,4

निर्णय दिनांक 25/02/2026

वादी द्वारा जरिये अधिवक्ता यह दावा अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.ए. के तहत पेश किया गया तथा संशोधित वाद पत्र दिनांक 17.09.2021 को अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर.टी.ए. के तहत पेश किया गया। जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 243 रकवा 1 बीघा 07 बिस्वा एव 244 रकवा 2 बीघा 08 विस्वा वाके ग्राम बवेखर तहसील भुसावर मे स्थित है, जिसका वादी रिकार्डेड खातेदार काश्तकार एवं काबिज आराजी है। वादी ही उपरोक्त आराजी का राज लगान राज्य सरकार को अदा करता चला आ रहा है।

उपरोक्त आराजी को वादी ने प्रतिवादी संख्या एक गोविन्दसिह के भाई एवं प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 के पिता स्वर्गीय मानसिह पुत्र बजरंगसिह जाति राजपूत निवासी बवेखर तहसील भुसावर से जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 24.04.1976 को खरीद किया था। वादी का विक्रय पत्र के रोज से उपरोक्त कृषि भूमि खण्डो पर कब्जा व काश्त चला आ रहा है। वादी ने इस वर्ष खरीफ की फसल मे बाजरा की फसल बोई थी, जो कि वादी द्वारा काटली व समेटली गई है। और वादी ने इस रबी की फसल के लिए उपरोक्त आराजी मे बरछार कर दी है।

वादी ने उपरोक्त आराजी की सिचाई करने हेतु अपने कुँआ पर बोरिग से अण्डर ग्राउण्ड पाईप लाइन लगा रखी है, जिसकी टी भी उक्त आराजी मे खुलती है।

उपरोक्त कृषि भूमि खण्डो से उक्त प्रतिवादीगण का कोई भी सम्बन्ध व सरोकार किसी भी किस्म का आज तक नही रहा है। लेकिन अब प्रतिवादीगण लटठ व ताकत के बल पर वादी की उपरोक्त खातेदारी काश्तकारी की आराजी पर नाजायज कब्जा करना चाहते है। और वादी को बेदखल करना चाहते है। जिस बावत प्रतिवादीगण ने दिनांक 27.10.2009 को वादी को खुले आम धमकी दी है कि हम तुम्हारी उपरोक्त

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर) राज.

आराजीयात पर लटठ के बल पर कब्जा करेगे और तेरी अण्डर ग्राउण्ड पाइप लाइन को तोड कर क्षतिग्रस्त कर देगे, और तुझे भविष्य मे उक्त आराजी मे काश्त नही करने देगे, और तुम्हारे नाम हो रही खातेदारी के इन्द्राज को भी राजस्व कर्मचारियो से मिलकर कलमजन करा कर अपने नाम खातेदारी का इन्द्राज करा लेगे।

वादी द्वारा निवेदन किया गया है कि आराजी खसरा नंबर 243 रकबा 01 बीघा 07 बिस्वा एवं खसरा नंबर 244 रकबा 02 बीघा 08 बिस्वा वाके ग्राम बवेखर तहसील भुसावर का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं प्रतिवादीगण को जरिये हुक्म इम्तनाई दवामी से पावन्द किया जावे तथा उक्त आराजी के राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

हमने दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलवी जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा कराई गई। नोटिस की ताईद में प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 5 की ओर से वकालतनामा श्री बृजकिशोर धाकड एड. द्वारा पेश किया गया तथा जवाब दावा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 की ओर से पेश किया गया। प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 जा.दी. पेश होने पर बाद सुनवाई स्वीकार किया गया। दिनांक 15.04.2019 को तथा दिनांक 17.09.2021 को संशोधित वाद पत्र पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की मृत्यु होने पर प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 जा.दी. 500/- की कॉस्ट पर स्वीकार किया गया। मृतक गोविन्दसिंह के वारिसान की ओर से वकालतनामा श्री सुरेन्द्र चौधरी एड. द्वारा पेश किया गया। साक्ष्य वादी पी.डब्ल्यू-1, पी.डब्ल्यू-2 पेश किये गये तथा प्रार्थना वकील प्रतिवादीगण की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 14 (3) व आदेश 8 नियम 1 (3) पर सुनने के बाद प्रार्थना पत्र स्वीकार किये गये तथा संशोधित वाद पत्र पेश किया गया तथा प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 जा.दी. वादी द्वारा पेश किये जाने पर बाद सुनवाई 5000/- रूपये की कॉस्ट पर स्वीकार किया गया।

साक्ष्य वादी पर जिरह होने पर साक्ष्य प्रतिवादी के रूप में शपथ पत्र रामबकील व बलवीरसिंह द्वारा पेश किये गये तथा दोनों से जिरह साक्ष्य प्रतिवादी की गई।

दावा व जवाब दावा के अभिवचनों के आधार पर तनकीयात कायम की गई। साक्ष्य वादी गोविन्दसहाय पी.डब्ल्यू-1 व राधेश्याम शर्मा पी.डब्ल्यू-2 तथा जिरह साक्ष्य वादी की गई तथा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप वादी द्वारा मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श-1, नकल जमाबन्दी संवत 2075-78 प्रदर्श-2, जमाबन्दी संवत 2063-66 प्रदर्श-3, नकल जमाबन्दी संवत 2071-74 प्रदर्श-4, नकल जमाबन्दी संवत 2067-70 प्रदर्श-5, नकल श्रीमान न्यायालय आर.ए.ए. भरतपुर अपील प्रदर्श-6, नकल श्रीमान आर.ए.ए. महोदय अपील प्रदर्श-7, नकल श्रीमान आर.ए.ए. अपील प्रदर्श-8, नकल न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी, वैर मु.नं. 283/09 प्रदर्श-9, नकल वयनामा प्रदर्श-10, नकल श्रीमान संभागीय आयुक्त महोदय अपील निर्णय दिनांक 06.06.2014 प्रदर्श-11, नकल निगरानी टी.ए./सं. 3609/17 उनवान गोविन्दसिंह बनाम गोविन्द सहाय प्रदर्श-12, नकल माननीय रेवेन्यू बोर्ड अजमेर निगरानी प्रदर्श-13, नकल अपील रेवेन्यू बोर्ड अजमेर प्रदर्श-14, नकल रिवीजन माननीय न्यायालय रेवेन्यू बोर्ड अजमेर प्रदर्श-15 प्रस्तुत किये गये।

साक्ष्य प्रतिवादी के रूप में रामबकील पी.डब्ल्यू-1 व बलवीरसिंह पी.डब्ल्यू-2 के रूप में पेश किये गये तथा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन निगरानी की प्रदर्श-डी1, आदेशिका निगरानी सं. 3609/2017 राजस्व मण्डल अजमेर प्रदर्श-डी2, अपील की आदेशिका गोविन्द सहाय बनाम गोविन्दसिंह अपील सं. 3263/2017 प्रदर्श-डी3, अपील गोविन्दसिंह अपील सं. 3263/2017 प्रदर्श-डी4, दावा उनवानी गोविन्दसिंह बनाम गोविन्द सहाय ए.सी.एम. वैर, प्रदर्श-डी5, नामान्तरकरण सं. 303 ग्राम बवेखर प्रदर्श-डी6, निर्णय दिनांक 09.09.2009 अपील उनवानी गोविन्दसिंह बनाम बलवीर वगै. ए. डी.एम. भरतपुर प्रदर्श-डी7, आदेशिका निगरानी उनवान गोविन्दसिंह बनाम गोविन्द सहाय सं. 5659/16 राजस्व मण्डल अजमेर प्रदर्श-डी8, निगरानी संख्या 5669/16 प्रदर्श-डी9, निर्णय मुकदमा उनवानी गोविन्दसिंह बनाम गोविन्द सहाय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, वैर दिनांक 05.05.2010 प्रदर्श-डी10, निर्णय श्रीमान एस.ओ. एण्ड आर.ए.ए. महोदय, भरतपुर अपील संख्या 3/10 उनवानी गोविन्दसिंह बनाम गोविन्द सहाय निर्णय दिनांक 30.05.2017 प्रदर्श-डी11, निगरानी संख्या 3609/2017 उनवानी गोविन्दसिंह बनाम गोविन्द सहाय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर प्रदर्श-डी12 प्रस्तुत किये गये है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजी रिकॉर्ड का भली भांति अवलोकन किया गया। तनकीवार निर्णय निम्नानुसार किया जाता है-

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर) राज.

तनकी संख्या 1:— आया वादी विवादित आराजी खसरा नंबर 243 रकबा 01 बीघा 07 बिस्वा, 244 रकबा 02 बीघा 08 बिस्वा वाके ग्राम बवेखर खातेदार काश्तकार व काबिज आराजी है।

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था। जिसके संबंध में वादी द्वारा शपथ पी.डब्ल्यू–1 व पी.डब्ल्यू–2 पेश किये गये तथा दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श–1 लगायत प्रदर्श–5 नकल जमाबन्दीयां पेश की गई। उक्त जमाबन्दीयों में वादी उक्त आराजीयात का खातेदार है। जबकि प्रतिवादीगण द्वारा विक्रय पत्र दिनांक 24.04.1976 के खरीदी भूमि का दाखिला खारिज संख्या 303 दिनांक 29.02.1976 को श्रीमान ए.डी.एम. न्यायालय द्वारा अपास्त किया गया। जिसकी अपील न्यायालय श्रीमान संभागीय आयुक्त महोदय, भरतपुर में की गई। उक्त अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार कर वारसे गुणावगुण के आधार पर विधिक वारिसान की जांच कर तार्कित न्याय संगत निर्णय पारित करने बाबत आदेशित किया गया। अतः सक्षम न्यायालय में नामान्तरकरण संख्या 303 की अपील की, जिसे अपीलीय न्यायालय द्वारा स्वीकार करते हुये नामान्तकरण निरस्त कर दिया गया।

अतः तनकी संख्या 1 विरूद्ध वादी निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 2:— आया उक्त आराजी वादी ने प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 5 के पिता मानसिंह से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 24.04.1976 को क्रय किया था, जिस पर क्रय की तारीख से कब्जा चला आ रहा है।

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था। जिसके संबंध में प्रस्तुत शपथ पत्र दावे में उल्लेख किया गया है तथा प्रस्तुत जमाबन्दी प्रदर्श–1 लगायत 5 पेश किये गये है तथा प्रस्तुत बयनामा प्रदर्श–10 पेश किया गया है। किन्तु प्रतिवादीगण द्वारा उक्त बयनामा से जो नामान्तरकरण संख्या 303 दिनांक 29.02.1976 की अपील सक्षम न्यायालय में की गई, वो स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण निरस्त किया गया।

अतः तनकी संख्या 2 विरूद्ध वादी निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 3:— आया प्रतिवादीगण ने दिनांक 27.10.2009 को वादी को जबरन बेदखल करने की धमकी दी, उसका प्रभाव।

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था, जिसके संबंध में उन्होंने दावे की मद संख्या 4 में उल्लेख किया गया। इसके संबंध में उक्त बिन्दु के अलावा और कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया गया, जबकि प्रतिवादीगण द्वारा उक्त बिन्दु को नकारा गया है।

अतः तनकी संख्या 3 विरूद्ध वादी निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 4:— आया वादी प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा द्वारा पाबन्द करा पाने का अधिकारी है।

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था, जिसके संबंध में उन्होंन विवादित आराजीयात पर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा द्वारा पाबन्द कराने बाबत निवेदन किया गया। किन्तु प्रतिवादीगण द्वारा मद संख्या 4 संपूर्ण कथन स्वीकार नहीं किया गया है। अतः जब उक्त भूमि के संबंध में दाखिला खारिज जरिये अपील सक्षम न्यायालय निरस्त कर दिया गया है, तो उक्त आराजी के संबध में स्थाई निषेधाज्ञा द्वारा पाबन्द कराने का अधिकार वादी को नहीं है।

अतः तनकी संख्या 4 विरूद्ध वादी निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 5:— आया विवादित आराजी प्रतिवादी संख्या 1 की अन्य प्रतिवादीगण की पैत्रिक आराजी है, जो मृतक रामप्यारी की जायदाद है, जिसके प्रतिवादीगण वंशज है।

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर था। जिसके संबंध में प्रतिवादीगण द्वारा अपने जवाब में प्रस्तुत सजरा के जरिये जाहिर किया गया है। जिसमें रामप्यारी निःसंतान फौत होना अवगत कराया है। अतः हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार रामप्यारी से नाबालिगी में प्राप्त हुई आराजी है। प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने भाई मानसिंह व अन्य बहनों को वादग्रस्त आराजी मे विरासत प्राप्त हिस्सा किसी भी प्रकार किसी भी डीड व सहमति द्वारा हस्तान्तरण नहीं किया गया है।

इस संबंध में वादी द्वारा वादी पत्र प्रस्तुत किया गया तथा बयनामा पेश किया गया। जिसका नामान्तरकरण अपील से निरस्त हो चुका है।

अतः तनकी संख्या 5 वहक प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर) राज.

तनकी संख्या 6:– आया रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 24.04.1976 के खरीद भूमि का दाखिला खारिज 303 के आधार पर एवं इनिशियो–वॉईड है। जिसकी अपील स्वीकार होकर निरस्त हो चुकी है।

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर था। जिसके संबंध में उन्होंने अपने जवाब दावे में अवगत कराया है कि वादग्रस्त आराजी जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 24.04.1976 के द्वारा खरीद करना बताया है। नामान्तरकरण संख्या 303 के आधार पर हुये गलत इन्द्राज के आधार पर किया गया विक्रय पत्र जो कि इनिशियो–वॉईड है एवं कानूनी निष्प्रभावी है। साथ ही इस बाबत उन्होंने प्रस्तुत पी. डब्ल्यू–1, पी.डब्ल्यू–2 एवं दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन निगरानी की प्रदर्श–डी1, आदेशिका निगरानी सं. 3609/2017 राजस्व मण्डल अजमेर प्रदर्श–डी2, अपील की आदेशिका गोविन्द सहाय बनाम गोविन्दसिंह अपील सं. 3263/2017 प्रदर्श–डी3, अपील गोविन्दसिंह अपील सं. 3263/2017 प्रदर्श–डी4, दावा उनवानी गोविन्दसिंह बनाम गोविन्द सहाय ए.सी.एम. वैर, प्रदर्श–डी5, नामान्तरकरण सं. 303 ग्राम बवेखर प्रदर्श–डी6, निर्णय दिनांक 09.09.2009 अपील उनवानी गोविन्दसिंह बनाम बलवीर वगै. ए.डी.एम. भरतपुर प्रदर्श–डी7, आदेशिका निगरानी उनवान गोविन्दसिंह बनाम गोविन्द सहाय सं. 5659/16 राजस्व मण्डल अजमेर प्रदर्श–डी8, निगरानी संख्या 5669/16 प्रदर्श–डी9, निर्णय मुकदमा उनवानी गोविन्दसिंह बनाम गोविन्द सहाय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, वैर दिनांक 05.05. 2010 प्रदर्श–डी10, निर्णय श्रीमान एस.ओ. एण्ड आर.ए.ए. महोदय, भरतपुर अपील संख्या 3/10 उनवानी गोविन्दसिंह बनाम गोविन्द सहाय निर्णय दिनांक 30.05.2017 प्रदर्श–डी11, निगरानी संख्या 3609/2017 उनवानी गोविन्दसिंह बनाम गोविन्द सहाय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर प्रदर्श–डी12 प्रस्तुत किये गये है। जबकि इस बाबत वादी द्वारा प्रस्तुत वयनामा जिसके नामान्तरकरण संख्या 303 की अपील होने के बाद नामान्तरकरण संख्या 303 सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त हो चुका है।

अतः तनकी संख्या 6 वहक प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

दादरसीः– तनकीवार निर्णयानुसार तनकी संख्या 1 लगायत 4 विरूद्ध वादी निर्णित होने एवं तनकी संख्या 5 व 6 वहक प्रतिवादीगण निर्णित होने से वादी का वाद स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

अतः दावा वादी खारिज किया जाता है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 25/02/2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(राधेश्याम मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर)

मूलवाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 नियम, 6–7 जाब्ता दीवानी)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर (भरतपुर)

प्रकरण सख्या: 248/09
जीसीएमएस नं. 2009/00020

दायर दिनांक: 29.10.2009

उनवान

1 गोविन्दसहाय पुत्र श्री रामदयाल जाति ब्राह्मण नि. बवेखर तह. भुसावर जिला भरतपुर राज.।

——वादी

बनाम

1 गोविन्दसिंह पुत्र बजरंगसिंह जाति राजपूत नि. बवेखर तह. भुसावर (मृतक) 1/1 रेवती पत्नि गोविन्दसिंह 1/2 कानजी 1/3 रामबकील 1/4 साहबसिंह 1/5 शिवसिंह पुत्रान गोविन्दसिंह जातियान राजपूत नि. बवेखर तह. भुसावर जिला भरतपुर 2 बलवीरसिह पुत्र स्व. मानसिंह जाति राजपूत नि. बवेखर तह. भुसावर 3 सुरेन्द्रसिंह पुत्र स्व. मानसिंह जाति राजपूत नि. बवेखर तह. भुसावर (मृतक) 3/1 रानरेश 3/2 कल्लू उर्फ धर्मेन्द्र पुत्रान सुरेन्द्रसिंह जातियान राजपूत नि. बवेखर तह. भुसावर 4 नरेन्द्रसिंह पुत्र स्व. मानसिंह जाति राजपूत नि. बवेखर तह. भुसावर (मृतक) 5 श्यामसिंह पुत्र स्व. मानसिंह जाति राजपूत नि. बवेखर तह. भुसावर जिला भरतपुर राज.।

——प्रतिवादीगण

दावा डिक्लेरेशन व हुक्म इम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर.टी.ए. 1955

अधिवक्ता:–

1 श्री हेमसिंह पाण्डेय ——वादी
2 श्री सुरेन्द्र चौधरी ——प्रति.सं. 1/1 लगा. 1/5 एवं 3/1, 3/2
3 श्री बृजकिशोर धाकड ——प्रति.सं. 2,4

<u>डिक्री दिनांक 25/02/2026</u>

तनकी संख्या 1 लगायत 4 विरूद्ध वादी निर्णित होने एवं तनकी संख्या 5 व 6 वहक प्रतिवादीगण निर्णित होने से वादी का वाद स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

अतः दावा वादी खारिज किया जाता है।

(राधेश्याम मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर)